कृषि संकट को समझना: एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

कृषि संकट को समझना: एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य

परियोजना निदेशक: डॉ. शशि बाला

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
नौएडा

आईएसबीएनः 978-93-82902-77-5

© वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

प्रतियों की संख्याः 300

प्रकाशन वर्षः 2021

यह प्रकाशन संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.org
से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखक के अपने व्यक्तिगत विचार हैं।
उनसे वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

प्रकाशकः वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर-24, नौएडा-201301, उत्तर प्रदेश

मुद्रण स्थानः चंदू प्रेस, डी-97, शकरपुर, दिल्ली-110092

अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ सं
प्रस्तावना	v
आभार	vi
अध्याय 1: अंतर्राष्ट्रीय	1-5
प्रस्तावना	1
कृषि में महिलाएँ	1
खेती की व्यवस्था में लिंग की भूमिका	1
कृषि में लैंगिक असमानताएँ	2
प्रौद्योगिकी को अपनाने में लिंग की भूमिका	3
सार्क और कृषि में लैंगिक असमानता	4
कृषि में पाकिस्तान का लैंगिक आयाम	4
जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और ब्रिक्स राष्ट्रों की लैंगिक असमानताएँ	4
अध्याय 2: राष्ट्रीय	**6-11**
एनएसएसओ डाटा और कृषि जनगणना – 2015	7
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005	8
एक महिला-प्रबंधित सामुदायिक वित्तीय प्रणाली	9
भारत में ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार तथा असमानता	10
अध्ययन क्षेत्र में लैंगिक आयाम	11
बरेली	11
वाराणसी	11
मामला अध्ययन	**12-13**
संदर्भ	**14**

तालिकाओं की सूची

तालिका सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	पूरे भारत में शहरी क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) और श्रमिक आबादी अनुपात (डब्ल्यूपीआर)	6
2	रोजगार की स्थिति के अनुसार महिला श्रमिकों का वितरण	6
3	विभिन्न क्षेत्रों में महिला श्रमिकों का वितरण और उनकी बेरोजगारी दर	7
4	उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर	7
5	लैंगिक आधार पर पूरे भारत में परिचालन जोत की संख्या और संचालित क्षेत्र	7
6	उत्तर प्रदेश में आकार समूह और लैंगिक आधार पर परिचालन जोत की संख्या और क्षेत्र का वितरण	8
7	कुल कार्य दिवसों में महिलाओं के कार्य दिवसों का प्रतिशत	9

प्रस्तावना

कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है और यह पुरुषों और महिलाओं दोनों को रोजगार प्रदान करता है लेकिन क्षेत्र में उनके रोजगार का अनुपात काफी अलग नहीं है। यह अंतर क्षेत्र में लैंगिक असमानताओं को जन्म देता है। दुनिया के कई हिस्सों में महिलाएं कृषि क्षेत्र में बहुसंख्यक श्रमिक हैं।

कृषि क्षेत्र में लैंगिक असमानता कोई छोटी बात नहीं है। ये लैंगिक असमानताएं महिलाओं के पास बहुत कम भूमि अधिकारों, कच्चे माल, वित्त, मशीनरी आदि जैसे संसाधनों तक पहुंचने में कठिनाई; किए गए काम के बदले भुगतान न करने या कम भुगतान करने, रोजगार में असुरक्षा और निर्णय लेने की शक्ति में कमी के रूप में मौजूद हैं।

महिलाएं बहुत अधिक गैर-उत्पादक गतिविधियों से जुड़ी हुई होती हैं जिसके कारण उनके काम को कभी महत्व नहीं दिया जाता है। हमेशा यह माना जाता है कि एक महिला गृहस्थी के कार्य करे, बच्चों का लालन-पालन करे भले ही वह किसी आर्थिक गतिविधि से जुड़ी हुई हो या कमा रही हो। विशेष रूप से कृषि में रोजगार का प्रकार लिंग के आधार पर तय किया जाता है जो महिलाओं के साथ अन्याय है।

वर्तमान शोध अध्ययन कृषि क्षेत्र में महिलाओं द्वारा सामना की गई उन असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो अर्थव्यवस्था के साथ-साथ समाज को नुकसान पहुंचाती हैं। कृषि में महिलाओं की भूमिका प्रभावी है और यदि उन्हें समान अवसर प्रदान किए जाते हैं तो राष्ट्र स्थायी रूप से भुखमरी और गरीबी से लड़ सकते हैं। महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करना पूरे समुदाय के लिए फायदेमंद हो सकता है। कृषि में महिलाओं के लिए समान विकास नीतियां जैसे कि शिक्षा के अवसर, प्रशिक्षण और कृषि की विस्तार सेवाएं प्रदान करना होनी चाहिए।

वर्तमान अध्ययन लिंग के निष्पक्ष और न्यायसंगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और लागू करने का एक प्रयास है। हमें उम्मीद है कि वर्तमान शोध कृषि क्षेत्र में मौजूदा लैंगिक असमानताओं को कम करने के प्रयास में सभी हितधारकों के लिए फायदेमंद होगा।

मैं डॉ. शशि बाला, फेलो और उनकी टीम को इन दिशा में प्रयास करने के लिए बधाई देता हूँ।

डॉ. एच. श्रीनिवास
महानिदेशक
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

आभार

कृषि अनेक देशों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। इस गतिविधि में पुरुष और महिला दोनों को नियुक्त किया जाता है, लेकिन दोनों के लिए मानदंड, भूमिका, निर्णय समान नहीं हैं। कृषि में महिलाओं के लिए इनपुट अधिक है, लेकिन उनकी भूमिका / कार्य / गतिविधियां सीमित हैं। ये सब पहले से ही एवं विशुद्ध रूप से लैंगिक आधार पर तय होते हैं।

कृषि में महिलाओं की भूमिका को गौण या सहायक माना जाता है, जबकि पुरुषों को प्राथमिक कार्य करने, भूमि का स्वामित्व रखने, अन्य अधिकारों और बड़े निर्णय लेने की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए माना जाता है।

ग्रामीण या कृषि क्षेत्र की महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है, यह कृषि संसाधनों तक उनकी पहुंच को मजबूत करेगा, उनके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा और उन्हें प्राथमिक भूमिकाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें अपने जीवन में स्वतंत्र बनाने में मदद करेगा।

इस रिपोर्ट के साथ हमारा प्रयास कृषि क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव के कारण महिलाओं द्वारा सामना की जा रही असमानताओं को उजागर करना है। हम यह महत्वपूर्ण अध्ययन आरंभ करने का अवसर प्रदान करने के लिए वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास और इसे संचालित एवं पूरा करने में सहयोग प्रदान करने के लिए वीवीजीएनएलआई की टीम की तहेदिल से प्रशंसा करते हैं।

इस रिपोर्ट को मूर्त रूप देने में उनके सतत अथक प्रयासों के लिए पूरी परियोजना टीम, सुश्री निमरा खान (रिसर्च एसोसिएट) और सुश्री मंजू सिंह (कंप्यूटर ऑपरेटर) का विशेष धन्यवाद।

अंत में, मैं हौसला बढ़ाने वाले अपने परिवार का धन्यवाद करती हूँ जिसने हमेशा, खासकर जब मैं अपने काम को कार्यालय समय के इतर भी करती हूँ, मुझे सहयोग किया है। उनके व्यक्तिगत सहयोग मेरे लिए अनमोल खजाना हैं।

डॉ. शशि बाला
फेलो
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

अध्याय 1: अंतर्राष्ट्रीय

कृषि में महिलाएँ

कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका भुखमरी और गरीबी से स्थायी तरीके से लड़ने का सबसे प्रभावी साधन है। महिलाओं के मूल अधिकार, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों से लेकर शारीरिक ईमानदारी, शादी करने की स्वतंत्रता और क्या /कब बच्चे पैदा करने हैं इत्यादि। वह पढ़ना-लिखना सीखने; भू-स्वामित्व पानी, मशीनरी या पशुधन तक पहुंच; बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के अपने अधिकारो का प्रयोग करती है कि नहीं, यह महिलाओं को इसे अपने और अपने परिवार के लिए उपलब्ध कराने के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकती है। यदि महिलाओं को निर्णय लेने और आत्म संगठन का अवसर मिलता है, तो पूरे समुदाय को इसका लाभ मिलेगा।

श्रम बाजार में महिलाओं को अक्सर भुखमरी मजदूरी का भुगतान किया जाता है। अफ्रीका और एशिया के बड़े हिस्से में निर्वाहयोग्य और छोटे पैमाने की खेती में कार्यरत कृषि श्रम बल में महिलाओं की संख्या अधिक है। चूँकि आधिकारिक आँकड़े बाग, भेड़शाला या घर के कामों में महिलाओं के अवैतनिक काम का चित्रण नहीं कर पाते हैं, इसलिए वे कृषि कार्य में महिलाओं की वास्तविक हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व प्रदर्शित करने के लिए अपर्याप्त हैं। अफ्रीका और एशिया की महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, अक्सर भेदभाव से दोगुनी प्रभावित होती हैं।

विकास के लिए कृषि ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन (आईएएएसटीडी) यह वर्णन करता है कि कृषि का नारीकरण गहरा और दूरगामी प्रभाव डाल रहा है क्योंकि महिला प्रधान परिवारों की संख्या बढ़ रही है। ये प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हैं। भावी विकास नीतियों की प्राथमिकता जैसे योग्यता के अवसर, कृषि प्रशिक्षण और विस्तार सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। प्रारंभ में, कृषि विस्तार और अनुसंधान में महिलाओं की संख्या बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

खेती की व्यवस्था में लिंग की भूमिका

जोशी. ए. और कलौनी डी. (2018) ने सब्जी उत्पादन गतिविधियों में श्रम के लिंग विशिष्ट आदानों (इनपुट) की जांच करने के लिए नेपाल के कंचनपुर के तीन वार्डों में एक सर्वेक्षण अध्ययन किया। अधिकांश नेपाली आबादी, विशेष रूप से नेपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के लिए प्राथमिक व्यवसाय के रूप में कृषि कार्य करती है। कृषि की इन विविध गतिविधियों में पुरुष एवं महिला, दोनों भाग लेते हैं फिर भी उनकी भूमिकाएँ लिंग-विशिष्ट हैं और निर्णय लेना महत्वपूर्ण है।

नेपाल में केवल 25.7% महिला मुखिया वाले परिवार हैं, आर्थिक गतिविधियों में नेपाली महिलाओं की भागीदारी 55.2% और पुरुषों की 71.6% है। महिलाओं की भागीदारी गैर-उत्पादक गतिविधियों जैसे घर के काम और अन्य कृषि गतिविधियों में बहुत अधिक है जिससे उनके काम को अहमियत नहीं मिल पाती है। जो उनके काम का मूल्य नहीं रखती हैं। एक आदर्श नेपाली परिवार वह है जहाँ एक महिला घरेलू कार्य करती है और पुरुष आय अर्जित करता है। आमतौर पर पुरुषों की ज़िम्मेदारी गैर-कृषि या खेती की गतिविधियों से आय का अर्जन करना है, जबकि महिलाओं की ज़िम्मेदारी बच्चों को लालन-पालन करना, जानवरों की देखरेख करना और घर के काम करना है और अगर पुरुष बेहतर नौकरी के अवसरों के लिए पलायन करते हैं, तो महिलाओं पर काम का बोझ बढ़ जाता है। इसलिए अब उसे खेत और घर दोनों में काम करना होगा। जुताई और अंतिम उपज के परिवहन को छोड़कर सभी कार्य महिलाओं द्वारा किए जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कार्य विशेष रूप से पुरुषों द्वारा किए जाते हैं।

इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नेपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ निरक्षर हैं और मुख्य रूप से कृषि कार्य करती हैं। सब्जी की खेती में महिलाओं का श्रम इनपुट पुरुषों की तुलना में समग्र गतिविधि में अधिक दर्ज किया गया है। विशेष रूप से यह पाया गया कि महिलाएँ विशेष रूप से बाड़ के निर्माण, उर्वरकों के उपयोग, रोपाई, सफाई और सब्जियों की कटाई जैसी गतिविधियों में शामिल थीं, जबकि खेत को तैयार करने पुरुषों की उच्च भागीदारी है। यद्यपि सब्जी की खेती में महिलाओं की भूमिका बहुत अधिक है, लेकिन उनके योगदान की प्रकृति को सहायक या द्वितीयक के रूप में लिया जाता है, जबकि पुरुष की भूमिका की प्रकृति को प्रभुत्व के रूप में लिया जाता है क्योंकि उसके पास भूमि का स्वामित्व और महान निर्णय लेने की शक्ति है। यह देखा गया कि ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने से महिलाओं की संसाधनों तक पहुंच को मजबूत करने में मदद मिलती है, जिससे उनकी निर्णय लेने की शक्ति भी मजबूत होती है। कृषि में महिलाओं की भूमिका को बेहतर बनाने के लिए लेखक द्वारा यह सिफारिश की जाती है कि उन्हें निर्णय लेने की शक्ति, परियोजना और कार्यक्रमों में प्रशिक्षण और प्रोत्साहन प्रदान किया जाए ताकि पुरुष और महिला किसानों की पूरक भूमिका को पूरा किया जा सके तथा भू-धारण की सुरक्षा और विस्तार सेवाओं तक अधिक पहुंच हो सके।

कृषि में लैंगिक असमानताएँ

सेक्सस्मिथ, कैथलीन, और अन्य (2017), ने बताया कि कृषि में लैंगिक लिंग असमानता 5 आयामों के कारण बनी हुई है:

1. जमीन के अधिकार: महिलाओं के पास जमीन के अधिकार, भले ही वे अपेक्षाकृत छोटे हिस्से के लिए हों, होना रखना बहुत ही असामान्य बात है। विदेशी निवेशक उन महिलाओं के साथ व्यवहार नहीं करते हैं जिनके पास भूमि है। महिलाओं की ज़मीन तक पहुँच को अक्सर घरेलू जरूरतों के साथ जोड़ा जाता है, जो वाणिज्यिक नहीं है।
2. उत्पादक संसाधन: भेदभाव के कारण महिला किसानों के लिए संसाधनों, उत्पादन आदानों, ऋण सुविधाओं, विस्तार सेवाओं, नए नवाचारों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है।
3. अवैतनिक कार्य: महिला मजदूरी श्रमिकों को लंबे समय तक काम करने का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर अवैतनिक काम होता है।
4. असुरक्षित रोजगार: महिलाएं काम के कम अवसरों के कारण कृषि में अस्थायी / असुरक्षित रोजगार पर काम कर रही हैं; यहां तक कि मजदूरी सहित रोजगार की स्थिति महिला श्रमिकों के लिए हमेशा खराब होती है। इसके अलावा, खेतों में महिलाओं की अधिकता भी उन्हें यौन उत्पीड़न और शारीरिक रूप से कठिन काम के डर से अरक्षित छोड़ देती है।
5. निर्णय लेना: निर्माता सहकारी समितियों या श्रमिकों के समूह में और विवाद समाधान निकायों में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के मामलों में निर्णय लेने की शक्ति अभी भी पुरुष के हाथों में है चाहे वह घरों के अंदर हो या बाहर।

कृषि में लैंगिक समानता में सुधार के लिए सिफारिशें और सामान्य सबक:

(1) सभी हितधारकों की सिफारिशें:

(क) कार्यान्वयन और अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

(ख) निष्पक्ष और न्यायसंगत लैंगिक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए।

(ग) निवेश सिद्धांतों के परिणाम में महिलाओं के साथ प्रमुख हितधारकों के रूप में कार्य करना।

(घ) जिन कार्यनीतियों को लागू किया जाना चाहिए, उन्हें स्थानीय लैंगिक मानदंडों पर ध्यान केंद्रित करके विकसित किया जाना चाहिए।

(2) निवेशकों के लिए सिफारिशें:

(क) भागीदारों और मूल्य श्रृंखला के दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक स्पष्ट रणनीति विकसित और अपनाई जानी चाहिए।

(ख) लैंगिक प्रतिबद्धताओं को मेजबान सरकार, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ अनुबंध में डाला जाना चाहिए।

(ग) सामुदायिक परामर्श में महिला भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए; इसके अलावा, कुछ परामर्श केवल महिलाओं के लिए आयोजित किए जाने चाहिए।

(घ) सामुदायिक विकास समझौतों में महिलाओं की जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए।

(ङ) यह नहीं माना जाना चाहिए कि प्रतिभागी पुरुषों से गैर-प्रतिभागी महिलाओं को ज्ञान पहुँच जाता है, और स्थानीय किसान या कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(च) लैंगिक प्रभावों की निरंतर आधार पर निगरानी की जानी चाहिए; लैंगिक तौर पर अधिक संवेदनशील व्यापार मॉडल और योजनाओं को अपनाया जाना चाहिए और प्रगति को वार्षिक आधार पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

प्रौद्योगिकी को अपनाने में लिंग की भूमिका

हुसैन एम. (2019) ने अपने शोधपत्र में यह जांच की कि क्या ग्रामीण बांग्लादेश में प्रौद्योगिकी और वाणिज्यिक कृषि को अपनाने के बारे में निर्णय लेने के लिए परिवार के मुखिया के लिंग का कोई संबंध है। आगे यह भी जांच की गई कि क्या खाद्य सुरक्षा अपनाने वालों की खाद्य सुरक्षा परिवार के मुखिया के लिंग के आधार पर काफी भिन्न है।

बांग्लादेश एक कृषि प्रधान देश है जिसमें विकास की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता गरीबी को कम करना और लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बांग्लादेश में कृषक समुदायों का प्रतिनिधित्व असमान रूप से मामूली और छोटे किसानों (सभी कृषि परिवारों के 84.4%) द्वारा किया जाता है और ये आम तौर पर संसाधनविहीन होते हैं। महिला प्रधान परिवारों के उदय की घटनाओं ने बांग्लादेश में प्रौद्योगिकी अपनाने या व्यावसायीकरण की चिंता को जन्म दिया है।

अध्ययन में यह पाया गया कि आमतौर पर महिला प्रधान परिवारों की भूमि, श्रम, ऋण और विस्तार सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण आदानों तक पहुंच बहुत कम है। बांग्लादेश को इस परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए इस शोधपत्र से यह स्पष्ट होता है कि प्रौद्योगिकी को अपनाने और कृषि के व्यावसायीकरण के लिए लिंग एक मामला है। इस शोधपत्र में यह भी पाया गया है कि हाइब्रिड फसलों की खेती परिवार के मुखिया के लिंग से काफी प्रभावित होती है, जैसे कि हाइब्रिड फसलों को उगाने में महिला प्रधान परिवारों की तुलना में पुरुष प्रधान परिवारों की संभावना अधिक होती है, जो कि नीतिगत चिंता का विषय है क्योंकि पिछले वर्षों में महिला प्रधान परिवारों का हिस्सा बढ़ा है। नकदी फसलों के मामले में भी लिंग का इसी तरह का मजबूत प्रभाव देखा जाता है।

इसलिए, यह सुझाव दिया जाता है कि नीति निर्माताओं को इस तरह के लैंगिक भेदभाव को ध्यान में रखना चाहिए और इसके अंतर्निहित कारणों को समझने के लिए शोध किए जाने चाहिए, क्योंकि यदि इन बाधाओं को समाप्त कर दिया जाता है तो इन महिला प्रधान परिवारों घरों की खाद्य सुरक्षा में भी सुधार किया जा सकता है।

सार्क और कृषि में लैंगिक असमानता

आर्थिक गतिविधि द्वारा रोजगार के पैटर्न में, मालदीव को छोड़कर सार्क (दक्षेस - दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) देशों के बीच यह समानता है कि महिलाओं के लिए रोजगार का मुख्य स्रोत कृषि है। मालदीव में महिलाओं को कृषि में 5%, उद्योग में 24% की दर से रोजगार दिया जाता है और सेवा क्षेत्र में 39% की दर से अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराया जाता है जबकि श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्रमशः 49%, 73% और 77% महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया जाता है। जब सार्क देशों की आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के पैटर्न की लैंगिक आधार पर तुलना की जाती है, दूसरे स्थान पर सेवा क्षेत्र का कब्जा है और उसके बाद उद्योग का। यह देखा गया है कि मालदीव में उद्योग में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक है, कृषि और सेवा क्षेत्रों में बहुत कम। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में पुरुषों का अनुपात महिलाओं की तुलना में कृषि में कम है और उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में अधिक है (तारिक एम. और सुल्तान ए. जेड. 2006)। सार्क के कुछ देशों में लिंग की स्थिति निम्न प्रकार है:

कृषि में पाकिस्तान का लैंगिक आयाम

पाकिस्तान में कामकाजी उम्र की महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र में काम करता है, कुल कामकाजी महिलाओं की आबादी में से 76% कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। उनके बड़े योगदान के बावजूद महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य और उत्पादकता की रक्षा के लिए इस क्षेत्र में निवेश की कमी है। 2014 में यह देखा गया कि मातृत्व मृत्यु दर प्रति 1000 महिलाओं पर 260 थी जबकि महिला जीवन प्रत्याशा (67 वर्ष) पुरुष समकक्षों की तुलना में कम है।

2013 में पाकिस्तान के स्टेट बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि वित्तीय सेवाओं के लिए महिलाओं की पहुंच पुरुषों की तुलना में थोड़ी कम है, लेकिन स्थिति में मामूली सुधार हो रहा है। पाकिस्तान ब्यूरो 2008 के एक अन्य आंकड़ों के अनुसार पुरुष आवेदक बैंक से उधार लेने की गतिविधियों में भी आगे हैं जो यह बताता है कि महिलाओं को ऋण सुविधाओं तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

एक उज्ज्वल पक्ष यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि में महिलाओं की भागीदारी 2008 में 15.66% से बढ़कर 2014 में 17.26% हो गई है। यह (महिलाओं की भागीदारी) ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी और शहरी क्षेत्रों में घटी है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि समुदाय ने महिलाओं की आर्थिक (कृषि) गतिविधियों में भूमिका को स्वीकार किया है और महिलाओं के साक्षरता के स्तर में हुई वृद्धि से यह निहित है कि नौकरी के बाजार (विशेषकर प्राथमिक क्षेत्रों में) उनके लिए काफी सुविधाजनक हैं।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और ब्रिक्स राष्ट्रों की लैंगिक असमानताएँ

(क्रूज़ पी. और अन्य 2016) का तर्क है कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की अनुकूली क्षमता को बढ़ाने के लिए सामाजिक नवाचार एक आशाजनक उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है। गरीब और वंचित प्राकृतिक आपदाओं, समुद्र के बढ़ते स्तर, अनियमित मौसम आदि से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। जलवायु

परिवर्तन के कारण कृषि आजीविका प्राप्त करना और पर्याप्त मात्रा में पानी प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके कारण लाखों लोगों का विस्थापन भी हुआ है और ये जटिलताएँ महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। यद्यपि दुनिया के अधिकांश गरीब महिलाएँ हैं जो जोखिम को बढ़ाने वाले सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं। ब्रिक्स देशों में हर रोज बदलती जलवायु की चुनौतियों का सामना लाखों सीमांत लोगों, खासकर महिलाओं को करना पड़ता है।

यह स्पष्ट है कि जलवायु में परिवर्तन पुरुषों की तुलना में महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों, को अधिक प्रभावित करते हैं। विकासशील देशों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ अत्यधिक गरीबी में जी रही हैं और वे अपनी आजीविका के लिए कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। जलवायु परिवर्तन ने कृषि क्षेत्र को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया है। 18-49 आयु-वर्ग की ग्रामीण आबादी में महिलाओं का प्रतिशत ब्राज़ील में 46.8, चीन में 48.6, भारत में 48.7 और रूस में 48.9 है। दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले 04 प्रतिशत अधिक है। ब्रिक्स देशों में 15-49 आयु वर्ग की महिलाओं की कुल आबादी 49.4 प्रतिशत है। ब्रिक्स देशों में कृषि एवं अन्य ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं का योगदान 24.5 प्रतिशत से 48.6 प्रतिशत तक है। ब्रिक्स देशों में आर्थिक रूप से सक्रिय महिला आबादी का औसत लगभग 32 प्रतिशत है जो विकासशील देशों के औसत (43 प्रतिशत वस्तुतः) से 10 प्रतिशत से ज्यादा कम है। चीन को छोड़कर अन्य सभी ब्रिक्स देशों में महिलाओं की हिस्सेदारी काफी कम है: ब्राजील में 24.5 प्रतिशत, रूस में 24.7 प्रतिशत, दक्षिण अफ्रीका में 29.6 प्रतिशत और भारत में 32.4 प्रतिशत, जबकि यह चीन में पुरुषों की हिस्सेदारी के लगभग बराबर है। ब्रिक्स देशों में ग्रामीण आबादी का लगभग आधा हिस्सा होने के बाद भी महिलाओं को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वे ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने से रह जाती हैं और इसलिए वे आर्थिक स्वायत्तता हासिल करने में सक्षम नहीं हो प रही हैं।

पानी के लिए अनियमित पहुंच की बढ़ी हुई व्यापकता और सूखा महिलाओं के घरेलू कामों के लिए अधिक समय लेने वाला और अधिक खतरनाक हो गया है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है, वहां पानी इकट्ठा करने के लिए अधिक समय लगता है क्योंकि महिलाओं को पानी इकट्ठा करने के लिए दूर स्थानों की यात्रा करनी पड़ती है और उन्हें हिंसा का खतरा भी बढ़ जाता है। अपशिष्ट जल प्रणाली से अतिप्रवाह के कारण जल स्रोतों का ह्रास होने से महिलाओं को विशेष रूप से खतरा होगा क्योंकि उन्हें अपने घरेलू कामों की गतिविधियों में सफाई और खाना पकाने के लिए बिना उबला हुआ पानी का प्रयोग करना पड़ता है। बड़ी संख्या में ग्रामीण घर खाना पकाने के लिए पारंपरिक चूल्हे या खुले में आग में गोबर, कोयला, लकड़ी या कृषि अवशेषों का उपयोग कर रहे हैं। ग्रामीण परिवारों के पारंपरिक श्रम और भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए, आमतौर पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में खाना पकाने में अधिक समय बिताती हैं और इसलिए वे पुरुषों की तुलना में घर के अंदर के धुएं के संपर्क में ज्यादा रहती हैं। ध्यान देने योग्य ग्रामीण / शहरी विभाजन यह बताता है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का मुकाबला करने के परिदृश्य में ग्रामीण महिलाओं को ज्यादा नुकसान होता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों ने महिलाओं को आगे की पंक्ति में खड़ा कर दिया है लेकिन कानूनी और सांस्कृतिक संरचना उन्हें हमेशा इन परिवर्तनों के अनुकूल होने या इन्हें कम करने के लिए धन का उपयोग करने से रोकती हैं। इसलिए, जलवायु परिवर्तन और कार्बन प्रेरित कठिनाइयों से महिलाओं की भेद्यता में कमी के लिए सामाजिक नवाचार एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है।

अध्याय 2: राष्ट्रीय

जनवरी से मार्च 2019 की अवधि के लिए एनएसएसओ के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) को श्रम बल में जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) के अनुसार यह सर्वेक्षण की तारीख से पहले 7 दिनों के एक सप्ताह में औसतन नियोजित या बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या है जबकि श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) को आबादी में श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। सीडब्ल्यूएस में कार्यबल का अनुमान सर्वेक्षण की तारीख से पहले 7 दिनों के दौरान किसी भी दिन कम से कम 1 घंटे काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या बताता है।

तालिका 1: पूरे भारत में शहरी क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) और श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)

अवधि	एलएफपीआर	डब्ल्यूपीआर
अप्रैल – जून 2018	14.6	12.8
जुलाई – सितंबर 2018	15.3	13.4
अक्तूबर – दिसंबर 2018	15.4	13.5
जनवरी – मार्च 2019	15.0	13.3

स्रोत: एनएसएसओ – आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (जनवरी-मार्च 2019)

वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में महिला श्रमिकों के वितरण को रोजगार में उनकी स्थिति के अनुसार तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ये व्यापक श्रेणियां हैं: स्व-नियोजित, नियमित वेतन / मजदूरी कर्मचारी और अनियत श्रमिक। स्व-नियोजित की श्रेणी में दो उप-श्रेणियां, स्वयं खाता कर्मचारी व नियोक्ता और घरेलू उद्यमों में अवैतनिक सहायक के रूप में मौजूद हैं।

तालिका 2: रोजगार की स्थिति के अनुसार महिला श्रमिकों का वितरण

अवधि	स्वयं खाता कर्मचारी	घर में सहायक	स्व नियोजित	नियमित कर्मचारी	अनियत श्रमिक
अप्रैल – जून 2018	23.3	9.9	34.5	56.1	9.4
जुलाई – सितंबर 2018	22.7	9.6	33.4	56.1	10.6
अक्तूबर–दिसंबर 2018	22.4	9.5	33.1	57.9	9.1
जनवरी – मार्च 2019	22.7	9.2	32.8	58.1	9.1

स्रोत: एनएसएसओ – आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (जनवरी-मार्च 2019)

जबकि महिला श्रमिकों का वितरण व्यापक श्रेणियों जैसे कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में भी किया जाता है और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में बेरोजगारी की दर सर्वेक्षण अवधि के दौरान 7 दिनों की छोटी अवधि में बेरोजगारी की एक औसत तस्वीर प्रदान करती है, सीडब्ल्यूएस दृष्टिकोण के अनुसार, किसी व्यक्ति को एक सप्ताह में बेरोजगार माना जाता था यदि वह सप्ताह के दौरान 1 घंटे के लिए भी काम नहीं करता था, लेकिन उसने सप्ताह के दौरान कम से कम 1 घंटे के लिए काम की मांग की गई थी या वह उपलब्ध था।

तालिका 3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला श्रमिकों का वितरण और उनकी बेरोजगारी दर

अवधि	कृषि क्षेत्र	द्वितीयक क्षेत्र	तृतीयक क्षेत्र	बेरोजगारी दर
अप्रैल – जून 2018	6.7	29.1	64.2	12.8
जुलाई – सितंबर 2018	8.1	27.9	64	12.7
अक्तूबर–दिसंबर 2018	7.5	27.9	64.7	12.3
जनवरी – मार्च 2019	6.9	28.1	65	11.6

स्रोत: एनएसएसओ – आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (जनवरी-मार्च 2019)

पूरे भारत में विभिन्न राज्यों के लिए सीडब्ल्यूएस के अनुसार एलएफपीआर शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में दूसरा सबसे कम है और इसी तरह का पैटर्न डब्ल्यूपीआर में भी देखा गया है:

तालिका 4: उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर

अवधि	एलएफपीआर	डब्ल्यूपीआर
अप्रैल – जून 2018	7.6	6.5
जुलाई – सितंबर 2018	7.2	6.5
अक्तूबर–दिसंबर 2018	7.7	6.3
जनवरी – मार्च 2019	6	5.3

स्रोत: एनएसएसओ – आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (जनवरी-मार्च 2019)

कृषि जनगणना

तालिका 5: लैंगिक आधार पर पूरे भारत में परिचालन जोत की संख्या और संचालित क्षेत्र

आकार वर्ग	लिंग	परिचालन जोत की संख्या	संचालित क्षेत्र
सीमांत	पुरुष	85383	32659
	महिला	14716	5214
छोटा	पुरुष	22303	31286
	महिला	3469	4813
अर्द्ध मध्यम	पुरुष	12318	33182
	महिला	1645	4353
मध्यम	पुरुष	4995	28586
	महिला	543	3078
बड़ा	पुरुष	753	12071
	महिला	66	1035
सभी वर्ग	पुरुष	125751	137784
	महिला	20439	18493

स्रोत: कृषि जनगणना 2015-16

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि परिचालन जोत धारक महिलाओं और महिलाओं द्वारा संचालित क्षेत्र का प्रतिशत प्रत्येक वर्ग में पुरुषों से काफी कम है। यह भी देखा गया है कि परिचालन जोत धारक महिलाओं का प्रतिशत 2010-11 में 12.79% से बढ़कर 2015-16 में 13.96% हो गया है और महिलाओं द्वारा संचालित क्षेत्र भी 2010-11 में 10.36% से बढ़कर 2015-16 में 11.72% हो गया है। यह कहा जा सकता है कि कृषि भूमि के प्रबंधन और संचालन में महिलाओं की भागीदारी दर में वृद्धि हुई है, जो भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

परिचालन जोत की कुल संख्या और संचालित क्षेत्र में व्यक्तियों, संयुक्त परिवार और संस्थान शामिल हैं।

तालिका 6: उत्तर प्रदेश में आकार समूह और लैंगिक आधार पर परिचालन जोत की संख्या और क्षेत्र का वितरण

आकार वर्ग	लिंग	संख्या	क्षेत्र)हेक्टेयर(
सीमांत	पुरुष	17502	6750
	महिला	1583	542
छोटा	पुरुष	2835	3935
	महिला	169	233
अर्द्ध मध्यम	पुरुष	1252	3393
	महिला	58	157
मध्यम	पुरुष	362	1991
	महिला	13	71
बड़ा	पुरुष	22	307
	महिला	1	8
सभी वर्ग	पुरुष	21972	16376
	महिला	1824	1011

स्रोत: कृषि जनगणना 2015-16

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005 ग्रामीण क्षेत्र में उन परिवारों, जिनके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से शारीरिक काम करने के लिए आगे आते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिनों के मजदूरी रोजगार का आश्वासन देकर, लोगों की जीविका सुरक्षा बढ़ाने पर केंद्रित है। यह अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण को भी लक्षित है क्योंकि इसमें यह प्रावधान किया गया है कुल मजदूरों में एक-तिहाई महिला मजदूर होनी चाहिए। इसके आरंभ से ही यह पाया गया है कि मनरेगा ने महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायता की है और उनकी घरेलू गतिविधियों को पूरा करने में भी उनकी सहायता की है।

मनरेगा अपनी अभिकल्पना में लैंगिक समानता और सशक्तिकरण को शामिल करने के महत्व को स्वीकार करता है। अधिनियम के कई प्रावधानों और दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि काम, उचित कार्यदशाओं, मजदूरी के समान भुगतान और निर्णय लेने वाले निकायों में प्रतिनिधित्व में महिलाओं को समान और आसान पहुंच प्राप्त हो।

तालिका 7: कुल कार्य दिवसों में महिलाओं के कार्य दिवसों का प्रतिशत

वर्ष	प्रतिशत
2016-17	56.16
2017-18	53.53
2018-19	54.59
2019-2020	54.67

स्रोत: www.mgnrega.nic.in.

महिला श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली कार्य सुविधाओं में क्रेच, महिलाओं के लिए अलग शौचालय हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कुल महिला श्रमिक 23,757 (22%) हैं। कार्यक्रम की क्षमता बनाने के लिए एक चार- दिवसीय आवासीय स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें 11 राज्यों में कुल 75,000 महिला एसएचजी सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। मनरेगा का वादा है कि यह मजदूरी के प्रावधान में कोई लैंगिक पक्षपात नहीं करता है और महिलाओं और बड़ों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित हैं।

मनरेगा में श्रम बाजार कई सामाजिक-आर्थिक कारकों से प्रभावित एक जटिल घरेलू निर्णय प्रतीत होता है। महिलाओं की मनरेगा में भागीदारी की संभावना उनके घरों से प्रवासन, उनके परिवार में कामकाजी पुरुषों की संख्या, परिवार के सदस्यों की शिक्षा के उच्चतम स्तर से नकारात्मक रूप से और एससी / एसटी सामाजिक समूह एवं 10 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या से सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।

एक महिला-प्रबंधित सामुदायिक वित्तीय प्रणाली

1970 से भारत के बैंकिंग नेटवर्क के व्यापक विस्तार ने ग्रामीण गरीबों खासकर महिलाओं को दरकिनार किया है। महिलाओं को कभी भी बैंक के लिए व्यावसायिक ग्राहक के रूप में नहीं माना गया और सरकार द्वारा प्रायोजित क्रेडिट कार्यक्रमों में टोकन भागीदारी से परे उन्हें शायद ही कभी सेवा दी गई हो। परंपरागत रूप से गरीब ग्रामीण महिलाओं द्वारा ऋण का भुगतान, शादी, स्कूली शिक्षा आदि जैसी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटी-छोटी बचत से अपने घर की अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में अच्छा वित्तीय अनुशासन दिखाया है।

आंध्र प्रदेश, भारत में जब एक समुदाय आधारित महिला समूह ने बचत और ऋण प्रणाली शुरू की और अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, तो ग्रामीण वित्तपोषण सेवाओं को एक नाटकीय बदलाव आया और इसने संपत्ति के पूंजी संचय के सफलतापूर्वक गठन और बाजार में गरीबों की बढ़ती भागीदारी को उत्प्रेरित किया। इंदिरा क्रान्ति प्रथम (आईकेपी) द्वारा संचालित और अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी एवं विश्व बैंक द्वारा समर्थित दो समुदाय-संचालित परियोजनाएँ, आंध्र प्रदेश जिला गरीबी पहल परियोजना (एपीडीपीआईपी) और आंध्र प्रदेश ग्रामीण गरीबी उपशमन परियोजना (एपीआरपीआरपी) दक्षिण भारत में 2000 से लागू हैं। आईकेपी द्वारा तिहरी रणनीति अपनाई जाती है। सबसे पहले, यह बचत और ऋण (थ्रिफ्ट और क्रेडिट) सेवाओं जैसी प्रमुख गतिविधियों के साथ महिलाओं के स्व-प्रबंधित स्थानीय निर्देशों का सृजन करने में मदद करता है। दूसरा, यह महिलाओं के लिए आजीविका आधार में विविधता लाने और विस्तार करने में मदद करता है। तीसरा, यह गरीबों को उन बाजारों के तंत्र को खोजने और प्रभावित करने में मदद करता है जो साम्य और विकास को बनाए रखने में मदद करते हैं। यह गरीबों को इक्विटी और विकास को बनाए रखने में बाजारों के तंत्र

को प्रभावित करने और खोजने में मदद करता है। आईकेपी ने इस रणनीति के तहत मार्च 2007 के अंत तक गरीबों की अन्योन्याश्रित संस्थाओं का अनुक्रम बनाकर 6,30,000 स्वयं सहायता समूहों, जिनमें प्रत्येक समूह में आंध्र प्रदेश के गरीब परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाली 10-15 महिलाएँ हैं, में 80 लाख महिलाओं को संगठित किया। ग्राम स्तर पर इन समूहों से 28,282 ग्राम संगठन (वीओ) बनाए गए, जिनसे उप-जिला स्तर पर मंडल में 910 संघों का गठन किया गया। इन्हें मंडल समाख्या (एमएस) कहा जाता है। समूह के सदस्यों को एक आम पूल में उनके द्वारा जमा की गई छोटी रकम से ऋण प्रदान किया जाता है। महिलाओं द्वारा सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं, वे बारीकी से देखती हैं कि ऋण का उपयोग कैसे किया जाता है, सदस्यों पर ऋण चुकाने और तुरंत जमा करने के लिए भी दबाव बनाती हैं।

इस कार्यक्रम का व्यापक स्तर पर प्रभाव है जिसके माध्यम से महिलाएं बाज़ारों के माध्यम से विभिन्न तरीकों जैसे कि गरीबों के वित्त तक पहुँच को व्यापक बनाना, गरीब-समर्थक वित्तीय क्षेत्र का निर्माण करना, गरीबों के मध्य उद्यम को बढ़ावा देना और आजीविका पर फोकस करना, ग्रामीण वित्त में उभरते हुए सह-उत्पादन मॉडल का उपयोग करना और वित्तीय साक्षरता को एक रणनीतिक उप-उत्पाद के रूप में उपयोग करना, से गरीबों के लिए काम कर रहीं हैं। (जेंडर इन एग्रीकल्चर सोर्सबुक: 2009).

भारत में ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार और असमानता

(बिरादर. आर 2005) ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार का बेरोजगारी, गरीबी और आय असमानता पर भीषण प्रभाव पड़ा है और इसका विकास ग्रामीण विकास प्रतिमानों में एक केंद्रीय विषय बन गया है। 1970 के दशक से ग्रामीण रोजगार संरचना के विभिन्न आयामों का एक दस्तावेज़ है। लेखक ने 1972-73 से 1999-2000 तक की अवधि में भारत के 16 प्रमुख राज्यों के आंकड़ों का विश्लेषण किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुष श्रमिकों की विकास दर में काफी गिरावट आई है, जबकि महिला श्रमिकों के संबंध में विकास दर नकारात्मक है।

श्रमिक भागीदारी दर (डब्ल्यूपीआर) में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 1980 के अंत में मामूली गिरावट आई; 1990 के दशक की शुरुआत में तेजी से बढ़ी और 1990 के अंत में तेजी से गिरावट आई। डब्ल्यूपीआर में शिक्षा के स्तर से पता चलता है कि डब्ल्यूपीआर में एक निश्चित स्तर तक गिरावट आती है और उसके बाद इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर में वृद्धि के साथ पुरुष और महिला श्रमिकों में विभिन्न मात्रा के साथ वृद्धि होती है। तात्पर्य यह है कि मध्यवर्ती स्तर पर शिक्षा प्राप्ति के दोनों चरम पर डब्ल्यूपीआर अधिक और निम्न हैं। डब्ल्यूपीआर में गिरावट के कारण निम्नलिखित हैं:

1. निरक्षर और प्राथमिक शिक्षा तक साक्षर व्यक्तियों तथा वृद्धों और युवाओं में बेरोजगारी की दर में वृद्धि।
2. शैक्षणिक संस्थानों के पक्ष में श्रम बाजार से श्रमिकों की वापसी।
3. जनसंख्या का अनुपात न तो शिक्षा संस्थान में और न ही श्रम बाजारों में बढ़ता है।

बेरोजगारी दर परंपरागत रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक है। शिक्षा के स्तर को देखते हुए, उच्च शिक्षित श्रमिकों के बीच बेरोजगारी की व्यापकता काफी अधिक है। पुरुष और महिला श्रमिकों, जो निरक्षर है या प्राथमिक शिक्षा तक साक्षर हैं, की बेरोजगारी की व्यापकता में मामूली वृद्धि हुई थी।

ग्रामीण रोजगार की गुणवत्ता, विशेष रूप से महिलाओं के मामले में, सुधार के बाद की अवधि में काफी बिगड़ रही है। इसका कारण हाल के वर्षों में रोजगार के संकोचन (कैप्सुलेशन) और अनौपचारिकता की दर में वृद्धि है। अनियमितीकरण की घटना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गतिविधियों और शिक्षा के विभिन्न स्तरों में एक समान नहीं है। खासकर ग्रामीण इलाकों में यह निरक्षर पुरुषों की तुलना में निरक्षर महिलाओं के बीच काफी अधिक देखि गई है। औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अनियमितीकरण और अनौपचारीकरण में वृद्धि के परिणामस्वरूप ग्रामीण रोजगार का स्त्रीकरण हुआ है।

अध्ययन क्षेत्र में लैंगिक आयाम

बरेली

बरेली 2,357,665 पुरुष और 2,090,694 महिला आबादी के साथ उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक जिला है। लैंगिक असमानता को मिटाने के लिए जिलों में विभिन्न उपाय किए जाते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सीएमएस लेडी जिले के महिला अस्पताल की देखभाल करती है, गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस मंगाने के लिए 102 डायल किया जा सकता है और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाएँ निम्न प्रकार हैं:

1. जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)
   राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत यह सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के बीच प्रसव संस्था को बढ़ावा देकर मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना है।
2. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)
   गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित करने और उन्हें अपने घर पर प्रसव कराने के बजाय अपने बच्चों के संस्थागत प्रसव का विकल्प चुनने हेतु प्रेरित करने के लिए जून 2011 को शुरू किया गया।

महिलाओं के विकास के लिए जिले में उपलब्ध कुछ अन्य सामाजिक योजनाएँ:

3. निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना।
4. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
5. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)

यह एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है। यह 19 वर्ष या उससे अधिक उम्र की गर्भवती महिलाओं और पहले जीवित बच्चे के जन्म पर स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक योजना है और 2017 में शुरू की गई यह एक सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।

वाराणसी

वाराणसी 1,921,857 पुरुष और 1,754,984 महिला आबादी के साथ उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक जिला है। राज्य में लिंगानुपात 913 है जबकि पुरुष साक्षरता दर 83.77% है और महिलाओं के लिए 66.69% है। लैंगिक असमानता को मिटाने के लिए जिलों में विभिन्न उपाय किए जाते हैं। जिले में महिलाओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए एक महिला थाना है और महिलाओं की वित्तीय सहायता के लिए निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना जैसी योजनाएं चल रही हैं।

लिंग असमानताएँ: एक मामला अध्ययन

प्रारंभिक	भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुष श्रमिकों की वृद्धि दर में गिरावट आई है जबकि महिला श्रमिकों की वृद्धि नकारात्मक देखी जा रही है।
परिचय और पृष्ठभूमि	भारत में और कई अन्य देशों में कृषि जनसंख्या की आजीविका (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में) के लिए प्राथमिक व्यवसाय है। पुरुष और महिला दोनों आबादी कृषि में कार्यरत हैं लेकिन उनकी भूमिकाएं, उनके रोजगार का अनुपात, उनकी निर्णय लेने की क्षमता लिंग विशिष्ट हैं।
क्रियाविधि	कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी की समानता की महत्वपूर्ण चिंता को समझना आवश्यक है। इन मामलों को मई 2020 के दौरान गहन भागीदारी के माध्यम से एकत्र किए गए मामला अध्ययन के माध्यम से देखने का प्रयास किया गया है। जैसा कि इस विषय और वर्णित मामलों पर किए गए शोध के माध्यम से विश्लेषण किया गया है, यह बहुत चिंता का विषय है कि कृषि में महिलाओं की भूमिका सबसे प्रभावी है क्योंकि यह स्थायी रूप से भुखमरी और गरीबी से लड़ने में मदद करती है।
मामला 1	शांति भारत में बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर जिले के नरौली गाँव की एक किसान है। वह 70 वर्ष की हैं और खेती के अलावा उसे दूसरों के खेतों में कृषि मजदूर के रूप में काम करना पड़ता है। वह अपने काम से प्रतिदिन 110 रुपये कमाती है। उसके पति रिक्शा चलाते थे, अब वह बहुत कमजोर हो गए हैं तथा काम नहीं कर पाते हैं। उनके 4 बेटे हैं जिनमें से 3 पेंटर और मजदूर हैं और एक कॉलेज में पढ़ रहा है। शांति के पास खुद का घर है, लेकिन उसके पास अपनी कृषि भूमि नहीं है। पिछले 2 वर्षों से उसने 0.17 एकड़ जमीन लीज पर ली है और इसके लिए 3500 रुपये का किराया चुकाया है। जमीन का सारा काम परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है। 2017 के दौरान जब उन्होंने धान की खेती के लिए जमीन तैयार करना शुरू किया, उन्होंने ट्रैक्टर, बीज और खाद यूरिया और सिंचाई पर पैसा खर्च किया लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही बाढ़ के कारण फसलें नष्ट हो गईं। फसल क्षति के लिए उन्हें सरकार या बीमा एजेंसी से कोई मुआवजा नहीं मिला। पूरा परिवार अब शांति और उसके बड़े बेटे की प्राथमिक आय पर चलता है। उनके पास अब भी 13500 रुपये का कर्ज है और वे अपने जीवन यापन के लिए दुकानदारों और डॉक्टर से ऋण लेते रहते हैं। स्रोत: Newsclick.com
मामला 2	राखी तुरी बोलपुर नगर में एक झुग्गी बस्ती की एक गृहिणी है, उसका पति रिक्शा चालक है। उसके पति प्रति माह 1600 रुपये कमाते थे जो 5 सदस्यों के परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था। राखी काम की तलाश कर रही थी, जब डीआरसीएससी ने इन्नोवेटिव चैलेंज फंड, केयूएसपी द्वारा समर्थित कृमि खाद (वर्मीकम्पोस्टिंग) बनाने के उपक्रम में उसे बताया। दोस्तों के समूह के साथ राखी ने इसमें अपनी रुचि दिखाई और कृमि खाद बनाने के लिए एक गड्ढे का निर्माण किया। उनके परिवार के पुरुष सदस्यों ने सब्जियों और अन्य कचरे को इकट्ठा करके अपना समर्थन दिखाया। उन्होंने एक महीने में 2 टंकियों से 400 किग्रा के कुल उत्पादन के साथ उच्च गुणवत्ता वाले कृमि खाद को बनाना शुरू किया। अपना नियमित घरेलू काम करने के बाद राखी 1-2 घंटे इस पर काम करती थी और पहले महीने में उसने 200 रुपए कमाए। राखी बहुत खुश थी क्योंकि वह उसे अतिरिक्त देकर कमा पा रही थी और भविष्य में व्यापार को बड़ा बनाने के लिए प्रशंसित थी। स्रोत: डीआरसीएससी न्यूजलेटर

परिणाम	उपर्युक्त मामलों से यह पता चलता है कि साक्षरता, प्रशिक्षण, अवसरों के अभाव में कृषि क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के जितने समान अधिकार नहीं मिल पाते हैं। यदि उसे (महिला को) अवसर और सहायता प्रदान किए जाएँ तो वह कमा सकती है और अपने परिवार को चलाने में मदद कर सकती है।
सारांश और मूल्यांकन	महिलाओं को कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित कारणों की वजह से कई कठिनाइयों और असमानताओं का सामना करना पड़ता है: • निरक्षरता में वृद्धि। • रोजगार के अनियमितीकरण और अनौपचारीकरण की दर में वृद्धि। • कम मजदूरी का भुगतान। • भेदभाव।
निष्कर्ष	कृषि में महिलाओं की भूमिका सबसे प्रभावी है क्योंकि यह स्थायी रूप से भुखमरी और गरीबी से लड़ने में मदद करती है। आधिकारिक आँकड़े खेत, कृषि में, परिवार में महिलाओं के अवैतनिक काम का चित्रण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वे कृषि कार्य में महिलाओं की वास्तविक हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व प्रदर्शित करने के लिए अपर्याप्त हैं।
भविष्य के लिए अनुशंसाएँ	भविष्य की विकास नीतियों, जैसे कि अवसर, योग्यता और कृषि प्रशिक्षण और विस्तार सेवाएं प्रदान करना, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रारंभ में, कृषि विस्तार और अनुसंधान में महिलाओं की संख्या बढ़ाना महत्वपूर्ण है।
उपसंहार	महिलाओं को निर्णय लेने और आत्म-संगठन करने का अवसर प्रदान करने से पूरे समुदाय को इसका लाभ मिलेगा।

संदर्भ

- फाउंडेशन ऑन फ्यूचर फार्मिंग (2020), "वीमेन इन एग्रीकल्चर", अप्रैल, URL: https://www.globalagriculture.org/report-topics/women-in-agriculture.html.
- सेक्सस्मिथ, कैथलीन और अन्य, *हाउ टु इम्प्रूव जेंडर इक्वलिटी इन एग्रीकल्चर* । इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (आईआईएसडी), 2017, URL: www.jstor.org/stable/resrep14754. Accessed 9 Apr. 2020.
- तारिक. एम एंड सुल्तान जेड (2006), "स्टेटस ऑफ वीमेन इन सार्क कंट्रीज: अ कम्पेरेटिव एनालिसिस,« 89th कॉन्फ्रेंस वॉल्यूम ऑफ इंडिया इकनॉमिक एसोशिएशन, 2006
- हुसैन. एम (2017) , "डज जेंडर इंफ्लुएंस फार्म हाउसहोल्ड्स डिसिजन टु अडोप्ट टेक्नोलॉजी एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर: इंप्लीकेशन फॉर हाउसहोल्ड फूड सिक्योरिटी इन रूरल बांग्लादेश« , *सार्क जे. एग्रीक. 17 (1): 219-226 (2019)*
- जोशी. ए और कलौनी डी. (2018), "जेंडर रोल इन वेजिटेबल प्रॉडक्शन इन रूरल फार्मिंग सिस्टम ऑफ कंचनपुर, नेपाल », *सार्क जे. एग्रीक. 16 (2): 109-118 (2018)*
- अहमद. वी. और जावेद. ए (2016), नेशनल स्टडी ऑन एग्रीकल्चर इनवेस्टमेंट इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद: सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट
- क्रूज़ पी और अन्य (2016) , " सोशल इन्नोवेशन एज़ अ टूल फॉर इनहांसिंग वीमेंस रेजिलिएन्स टु क्लाइमेट चेंज: अ लुक एट द ब्रिक्स », *बीपीसी पेपर्स, वी. 4 एन 03, मई-अगस्त 2016*
- भारत सरकार (2019), *पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (जनवरी – मार्च 2019)*, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- भारत सरकार (2018), *रैपिड असेस्मेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कम्पोनेंट अंडर मनरेगा एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स,* आईईजी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ।
- विश्व बैंक (2009), जेंडर इन एग्रीकल्चर सोर्सबुक, दि वर्ल्ड बैंक: वाशिंगटन डी. सी.
- बिरादर आर (2005), *रूरल नॉन एग्रीकल्चरल एम्पलॉयमेंट इन इंडिया: एन एनालिसिस ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स एंड इम्पैक्ट ऑन पोवर्टी एंड इन-इक्वलिटी,* पीएच.डी .थीसिस, कर्नाटक: कर्नाटक विश्वविद्यालय
- जीओयू (2020), बरेली, "दि ज़री नगर ऑफ उत्तर प्रदेश«, भारत, 23 अप्रैल, URL: Bareilly.nic.in।
- जीओयू (2020), जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश सरकार, "वाराणसी दि सिटी24 ,« अप्रैल, URL: varanasi.nic.in.

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना;
- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर 24, नौएडा–201 301, उत्तर प्रदेश (भारत)
वेबसाइट : www.vvgnli.gov.in